


तारीख
हुयम

हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नाम्बर म
अहकाम
हुयम की
में जारी

17.11.22

पत्रावली पेश हुई। वकील घाषी उपस्थित
नहीं है। न्यायालय से शुरु-शुरु कर
उत्तर आवाजे लगवायी गई। इसके बाद
श्री बार-बार आवाजे लगवायी गयी
लेकिन वकील घाषी या घाषीगण में से
कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं
हुए। अतः पत्रावली अदम टाजरी के
अदम पेशी में खारिज की जाती है।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया
गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद
के साथ संलग्न रहे।


उपअण्ड अधिकारी
नैजवा (बुन्दी)

with file
②
15/11/22

